

प्रेषक,

श्याम सुन्दर जग्गिहोत्री,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
एक केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा विभाग-2, तम्रगुप्त रोड,
प्राति विहार नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

कलकत्ता दिनांक: 22 सितम्बर, 2000

विषय:- मद्र उच्चशिक्षा पब्लिक स्कूल मन्दाग्राम नाजियाबाद को सी०बी०ए०सी० नईदिल्ली से संबन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे पत्र कलने का निदेश हुआ है कि मद्र उच्चशिक्षा पब्लिक स्कूल मन्दाग्राम नाजियाबाद को सी०बी०ए०सी० नईदिल्ली से संबन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन अनापत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय की सुवीकृत होनापट्टी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उन्हें 3050 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा सुधारित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 शिक्षा द्वारा राज्य सरकार से शिक्षा अनुदान की राशि नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा केन्द्रीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबन्धता प्राप्त होने की तिथि से 3050 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।
- 151 संस्था केन्द्रिक एवं विद्यार्थी कर्मचारियों की राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त असात-वीं 3050 विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुमन्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रकृत/परिचिकाओं में रखा जायेगा ।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।
- 2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या गिरावट आती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

। श्याम सुन्दर अग्निहोत्री ।
संयुक्त सचिव ।

पुं०-1904/11/15-7-सू० दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुवनायक एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- अडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद ।
- 4- सहाय निरीक्षक अग्रे भारतीय विद्यालय 3090, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, मर डग्लियर पब्लिक स्कूल नन्दग्राम गाजियाबाद ।
- 6- गार्ड बुक ।

आज्ञा है,

। श्याम सुन्दर अग्निहोत्री ।
संयुक्त सचिव ।

